की तामील में जारी हुए

अहकाम जो इस हुक्म

30/4/18

गुलाब केरीकेर उप०/P.O.
तहव ~~अलवर~~
पत्रावली दिनांक 30/4/18
को पेश हो।

30/4/18

प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय ..... मुकर्रर पर दिनांक 31/5/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

31/5/18 पत्रावली के मद नम्बर में पेश हुई। फरियादी उभयपक्ष स्वयं उपस्थित। फरियादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिकार्ड फरियादी पर मनन किया गया। फरियादी उभयपक्षकारान दिनांक 15.6.15 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को ताकीदन दायम फरमाई फरमाया चाहते है। अतः प्रार्थी प्रार्थना किया जाता है कि दिनांक 15/6/15 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को ताकीदन दायम फरमाई (confirm) किया जाता है व अप्रार्थीगण को ताकीदन दायम पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख०नं० 998, 923, 1004, 999, 926, 1034, 1035 वाके ग्राम मुर्कवा के 1/6 हिस्से में प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कमावट व मलाहमत पैदा ना करे जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करे। बिल तकसीम कराए उक्त आराजी को रहन बय ना करे। पत्रावली फैसल शुदा होकर दफ्तर किया जावे। फरमाया सुनाया।

SDOC